International Journal of Enhanced Research in Educational Development (IJERED)
ISSN: 2320-8708, Vol. 14 Issue 5, September-October, 2026

राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं का वित्तीय विकेंद्रीकरण: एक आलोचनात्मक अध्ययन

लीलाधर स्वामी

शोधार्थी: जैन विश्व भारती इंस्टिट्यूट, लाडनूं

DOI: https://doi.org/10.55948/IJERED.2026.0932

सार (ABSTRACT)

73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को 'स्वशासन की संस्थाएँ' बनाने का संकल्प लिया, परंतु स्वशासन की वास्तविकता वित्तीय स्वायत्तता पर निर्भर करती है। यह आलेख राजस्थान की त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय विकेंद्रीकरण का आलोचनात्मक मूल्यांकन करता है। इसमें संवैधानिक ढाँचे (अनुच्छेद 243-G, 243-H, 243-I, 280(3)(bb)), राज्य वित्त आयोगों की भूमिका, केंद्रीय वित्त आयोग अनुदानों (विशेषकर 15वें एवं 16वें आयोग), केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के बदलते स्वरूप (मनरेगा से वी.बी.-जी राम जी तक) और पंचायतों के स्वयं के स्रोत-राजस्व का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है। प्रमुख निष्कर्ष हैं: (क) पंचायतों का राजस्व मुख्यतः अनुदानों पर आश्रित है और स्वयं का कर-राजस्व नगण्य है; (ख) राज्य वित्त आयोग की सिफ़ारिशों तथा वास्तविक हस्तांतरण के बीच अंतर बना रहता है; (ग) योजनाबद्ध एवं 'टाइड' निधियाँ पंचायतों के विवेकाधिकार को सीमित करती हैं; (घ) सोलहवें वित्त आयोग की प्रवेश-शर्तें (नियमित चुनाव, खातों का प्रकाशन, समय पर राज्य वित्त आयोग) राज्य के लिए अवसर भी हैं और जोखिम भी। आलेख सुधार के लिए ठोस नीतिगत सुझाव देता है।

कूट शब्द: वित्तीय विकेंद्रीकरण, पंचायती राज, राज्य वित्त आयोग, वित्त आयोग अनुदान, स्वयं के स्रोत राजस्व, कार्य-कोष-कार्मिक (3F), राजस्थान

1. प्रस्तावना

लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मूल तर्क यह है कि स्थानीय आवश्यकताओं को स्थानीय स्तर पर बेहतर समझा जा सकता है। किंतु 'कार्य' सौंप देना ही पर्याप्त नहीं है; जब तक उन कार्यों के लिए **कोष (Funds)** और **कार्मिक (Functionaries)** पर भी नियंत्रण न दिया जाए, विकेंद्रीकरण अधूरा रहता है। इसी कारण वित्तीय विकेंद्रीकरण को पंचायती राज का 'सबसे विवादित' पक्ष माना जाता है।

राजस्थान ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर से देश में पंचायती राज की शुरुआत की, और 73वें संविधान संशोधन (1992) के बाद राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के माध्यम से संवैधानिक ढाँचे को अपनाया। तीन दशक बाद अब यह आकलन आवश्यक है कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और ज़िला परिषद के पास निर्णय-योग्य वित्तीय संसाधन कितने हैं, और वे संसाधन कितने पूर्वानुमेय, पर्याप्त और स्वायत्त हैं।

शोध-समस्या: राजस्थान में वित्तीय हस्तांतरण की व्यवस्था पंचायतों को वास्तविक वित्तीय स्वायत्तता देती है या वे प्रशासनिक-योजनागत अनुदानों के वितरण-माध्यम मात्र बनकर रह गई हैं?

2. सैद्धांतिक आधार

राजकोषीय संघवाद के क्लासिक सिद्धांतकारों — मसग्रेव (1959) और ओट्स (1972) — ने तर्क दिया कि स्थानीय सार्वजनिक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय सरकारें बेहतर कर सकती हैं (ओट्स का विकेंद्रीकरण-प्रमेय)। परंतु व्यवहार में स्थानीय निकायों के पास व्यय-दायित्व अधिक और राजस्व-स्रोत कम होते हैं, जिससे **ऊर्ध्वाधर राजकोषीय असंतुलन** पैदा होता है, जिसे अंतर-सरकारी हस्तांतरणों से पाटा जाता है। राव एवं सिंह (2005) के अनुसार भारत में यह हस्तांतरण-व्यवस्था अक्सर नियम-आधारित होने के बजाय योजना-आधारित और विवेकाधीन रही है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2007) ने भी 'सहायकता (Subsidiarity)' के सिद्धांत पर कार्य-विभाजन और उसके अनुरूप वित्त-हस्तांतरण की सिफ़ारिश की।

वित्तीय विकेंद्रीकरण के मूल्यांकन के लिए यह आलेख चार कसौटियाँ अपनाता है: (1) **व्यय-दायित्व** (किन कार्यों का दायित्व); (2) **राजस्व-असाइनमेंट** (कर/शुल्क लगाने के अधिकार); (3) **हस्तांतरण** (राज्य/केंद्र से निधि का स्वरूप — मुक्त बनाम बँधी, नियमित बनाम विवेकाधीन); (4) **जवाबदेही एवं पारदर्शिता** (लेखा, अंकेक्षण, ऑनलाइन प्रकटीकरण)।

3. संवैधानिक-विधिक ढाँचा

तालिका 1: वित्तीय विकेंद्रीकरण के संवैधानिक आधार

प्रावधान	विषय-वस्तु
अनुच्छेद 243-G	राज्य विधानमंडल पंचायतों को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने हेतु आवश्यक शक्तियाँ व दायित्व दे सकता है — आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाएँ, ग्यारहवीं अनुसूची के 29 विषयों सहित
अनुच्छेद 243-H	पंचायतों को कर, शुल्क, पथकर आदि लगाने-वसूलने के अधिकार; राज्य द्वारा लगाए गए करों का अंश; राज्य की संचित निधि से सहायता अनुदान
अनुच्छेद 243-I	प्रत्येक पाँच वर्ष में राज्य वित्त आयोग (SFC) का गठन, जो करों के बँटवारे के सिद्धांत, अनुदान तथा पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करे
अनुच्छेद 243-J	पंचायतों के लेखा-रखरखाव व अंकेक्षण के प्रावधान
अनुच्छेद 280(3)(bb)	केंद्रीय वित्त आयोग राज्य वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के आधार पर राज्य की संचित निधि बढ़ाने के उपाय सुझाए ताकि पंचायतों के संसाधन पूरक हों
राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994	राज्य में पंचायतों की संरचना, शक्तियाँ, वित्त तथा लेखा संबंधी प्रावधान (ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/ज़िला परिषद)

ध्यान देने योग्य है कि अनुच्छेद 243-G और 243-H में 'may' (कर सकता है) की भाषा है — अर्थात संविधान ने हस्तांतरण को बाध्यकारी नहीं बल्कि राज्य-विवेकाधीन रखा। राज्य वित्त आयोग का गठन ही एकमात्र अनिवार्य संवैधानिक वित्तीय-तंत्र है, और यही कारण है कि उसकी नियमितता व क्रियान्वयन-गुणवत्ता निर्णायक हो जाती है।

4. शोध-पद्धति

अध्ययन वर्णनात्मक-विश्लेषणात्मक है और **द्वितीयक स्रोतों** पर आधारित है: संविधान व अधिनियम, राजस्थान के छठे राज्य वित्त आयोग से संबंधित राज्य-सरकारी कार्रवाई-प्रतिवेदन, सोलहवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन (2026–31) तथा उसका पी.आर.एस. सार, पंचायती राज मंत्रालय के विज्ञप्ति-पत्र, भारतीय रिज़र्व बैंक के अध्ययन पर आधारित प्रकाशित रिपोर्टें और सोलहवें वित्त आयोग हेतु कराया गया अध्ययन 'Evaluation of Finances of State of Rajasthan'। सीमाएँ: ज़िला या पंचायत-स्तरीय प्राथमिक वित्तीय आँकड़ों का अभाव; कुछ राष्ट्रीय आँकड़े (जैसे पंचायतों का समग्र राजस्व) राजस्थान-विशिष्ट नहीं हैं और उन्हें स्पष्ट रूप से 'राष्ट्रीय' कहा गया है।

5. राजस्थान में पंचायतों के वित्त-स्रोत

तालिका 2: पंचायतों के प्रमुख वित्त-स्रोत

स्रोत	स्वरूप	स्वायत्तता का स्तर
स्वयं के कर/ग़ैर-कर राजस्व	संपत्ति/शुल्क, किराया, लाइसेंस आदि (अधिनियम व नियमों के अधीन)	उच्च, किंतु आधार बहुत छोटा
राज्य वित्त आयोग आधारित हस्तांतरण	राज्य के शुद्ध स्वयं-कर राजस्व का निर्धारित अंश; अनुदान	मध्यम; राज्य की स्वीकृति व रिलीज़ पर निर्भर
केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान	मूल (Basic) व निष्पादन-आधारित अनुदान; आधा मूल अनुदान अनटाइड व शेष टाइड (16वें आयोग के अंतर्गत)	अंशतः मुक्त; शर्तों से बँधा
केंद्र-प्रायोजित योजनाएँ	रोज़गार गारंटी (अब वी.बी.-जी राम जी), आवास, स्वच्छता, पेयजल आदि	निम्न; दिशानिर्देश-आधारित
राज्य की योजनाएँ	राज्य बजट की ग्रामीण विकास योजनाएँ	निम्न से मध्यम

राष्ट्रीय चित्र (राजस्थान-विशिष्ट नहीं): भारतीय रिज़र्व बैंक के अध्ययन पर आधारित रिपोर्टों के अनुसार वर्ष 2022-23 में देश की पंचायतों का कुल राजस्व लगभग ₹35,354 करोड़ था, जिसमें स्वयं का कर-राजस्व केवल ₹737 करोड़ (लगभग 2%) और ग़ैर-कर राजस्व ₹1,494 करोड़ रहा, जबकि केंद्र से अनुदान ₹24,699 करोड़ (लगभग 70%) और राज्यों से ₹8,148 करोड़ (लगभग 23%) प्राप्त हुए। यह पंचायतों

की गहरी अनुदान-निर्भरता दर्शाता है। राजस्थान के लिए सोलहवें वित्त आयोग हेतु कराए गए राज्य-वित्त अध्ययन का भी आकलन है कि सुधारों के बावजूद राज्य के स्थानीय निकाय अनुदानों पर भारी निर्भर हैं और वित्त आयोग की सिफ़ारिश तथा वास्तविक प्राप्ति के बीच अंतर लगातार बना हुआ है।

6. राज्य वित्त आयोग: राजस्थान का अनुभव

अनुच्छेद 243-I के अनुसार प्रत्येक पाँच वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन अनिवार्य है। राजस्थान में अब तक छह राज्य वित्त आयोग गठित हुए हैं; छठा आयोग 12 अप्रैल 2021 को गठित हुआ (अध्यक्ष: प्रद्युम्न सिंह), जिसका अनुदान-काल 2020–25 माना गया। राज्य सरकार के कार्रवाई-प्रतिवेदन के अनुसार 2020–24 की अवधि हेतु राज्य ने अपने शुद्ध कर-राजस्व का **6.75 प्रतिशत** पंचायतों/पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किया; छठे आयोग की सिफ़ारिशों पर कार्रवाई-प्रतिवेदन फ़रवरी 2024 में विधानसभा में रखा गया। इस प्रकार आयोग-गठन में विलंब और सिफ़ारिशों पर कार्रवाई में समय-अंतराल एक संरचनात्मक प्रवृत्ति के रूप में दिखाई देता है, जिसमें आयोग की अवधि समाप्त होने के बाद भी रिपोर्ट विधानसभा में आती है।

राजस्थान के राज्य वित्त आयोगों की एक उल्लेखनीय पद्धति यह रही है कि अलग-अलग करों के अंश (जैसे पूर्व व्यवस्था) के बजाय राज्य के **शुद्ध स्वयं-कर राजस्व** के प्रतिशत को हस्तांतरण का आधार बनाया गया, जो सरलता और पूर्वानुमेयता की दृष्टि से सराहनीय है। परंतु इस पद्धति की सीमा यह है कि राज्य-स्तर पर कुल राशि निर्धारित होने के बाद पंचायतों के तीनों स्तरों और शहरी निकायों में उसके वितरण और समय पर रिलीज़ की गुणवत्ता पर प्रश्न उठते हैं।

7. केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान

7.1 पंद्रहवाँ वित्त आयोग (2020–26)

पंद्रहवें वित्त आयोग ने देश के 28 राज्यों की ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु अंतरिम वर्ष 2020-21 में ₹60,750 करोड़ तथा अंतिम अवधि 2021–26 में ₹2,36,805 करोड़ के अनुदान दिए। इन अनुदानों का एक भाग 'टाइड' (पेयजल व स्वच्छता जैसे मूल सुविधाओं के लिए) और शेष 'अनटाइड' था, जिसे ग्यारहवीं अनुसूची के 29 विषयों के अंतर्गत स्थानीय आवश्यकताओं पर, वेतन व स्थापना-व्यय को छोड़कर, खर्च किया जा सकता है। पंचायती राज मंत्रालय के रिलीज़-आदेशों से स्पष्ट है कि राजस्थान को भी इस अवधि में अनटाइड अनुदान की किश्तें (जैसे वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी किश्त, 30 मार्च 2026) जारी हुईं।

7.2 सोलहवाँ वित्त आयोग (2026–31)

डॉ. अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता वाले सोलहवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन 1 फ़रवरी 2026 को संसद में रखा गया। इसने ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु कुल ₹4,35,236 करोड़ (मूल अनुदान ₹3,48,188 करोड़; निष्पादन अनुदान कुल ₹87,048 करोड़ — स्थानीय निकाय-स्तर ₹43,524 करोड़ तथा राज्य-स्तर ₹43,524 करोड़) की सिफ़ारिश की। राज्यों के बीच वितरण में ग्रामीण जनसंख्या को 90% तथा क्षेत्रफल को 10% भार दिया गया। राजस्थान के लिए सिफ़ारिशें इस प्रकार हैं:

तालिका 3: सोलहवें वित्त आयोग द्वारा राजस्थान हेतु ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदान

घटक (ग्रामीण स्थानीय निकाय, 2026–31)	राशि (₹ करोड़)	टिप्पणी
मूल अनुदान (Basic)	25,173	आधा अनटाइड, शेष टाइड
ग्रामीण निकाय निष्पादन अनुदान	3,147	स्थानीय निकाय-स्तर प्रदर्शन पर आधारित
राज्य निष्पादन अनुदान	3,147	राज्य द्वारा स्वयं-संसाधनों से हस्तांतरण आदि सुधारों पर
कुल (गणना: योग)	**31,467**	25,173 + 3,147 + 3,147

राजस्थान सरकार ने आयोग के समक्ष पंचायती राज संस्थाओं के लिए लगभग ₹37,959 करोड़ के अनुदान की माँग रखी थी (राज्य के स्थानीय स्वशासन विभाग का प्रस्तुतीकरण)। इस माँग की तुलना में आयोग की कुल ग्रामीण अनुदान-सिफ़ारिश (₹31,467 करोड़) मोटे तौर पर 83 प्रतिशत बैठती है — हालाँकि दोनों के घटक पूर्णतः समान परिभाषा पर आधारित हैं या नहीं, यह मूल दस्तावेज़ों से मिलान के बाद ही निश्चित कहा जा सकता है।

7.3 प्रवेश-शर्तों का महत्त्व

सोलहवें आयोग ने सभी स्थानीय निकाय-अनुदानों को तीन प्रवेश-शर्तों से जोड़ा है: (i) स्थानीय निकायों का संविधान के अनुरूप गठन (अर्थात नियमित चुनाव), (ii) अनंतिम व अंकेक्षित खातों का सार्वजनिक प्रकाशन, और (iii) समय पर राज्य वित्त आयोग का गठन। ये शर्तें सीधे राजस्थान की वर्तमान स्थिति से जुड़ती हैं, क्योंकि राज्य में पंचायत चुनाव कार्यकाल पूर्ण होने के बाद विलंबित रहे हैं और राजस्थान उच्च न्यायालय ने 2026 में चुनाव-पूर्ति के लिए बार-बार समय-सीमाएँ तय की हैं। **यह एक जोखिम-संकेत है** कि नियमित चुनावों के अभाव में भविष्य के अनुदान प्रभावित हो सकते हैं; हालाँकि अनुदान रोकने का वास्तविक निर्धारण केंद्र द्वारा जारी परिचालन-दिशानिर्देशों पर

निर्भर करेगा, जिनकी पुष्टि आवश्यक है। पंद्रहवें आयोग की अवधि में भी यह देखा गया था कि दिशानिर्देशों के अनुपालन पर अनुदान जारी होते हैं (राज्य के प्रस्तुतीकरण में राजस्थान को तब तक अनुपालक बताया गया है)।

8. बदलता योजनागत परिदृश्य: मनरेगा से वी.बी.-जी राम जी तक

विकेंद्रीकृत वित्त में केंद्र-प्रायोजित योजनाओं की भूमिका निर्णायक है। दिसंबर 2025 में संसद ने विकसित भारत–रोज़गार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 (वी.बी.-जी राम जी) पारित किया (18 दिसंबर 2025 को पारित; 21 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति की स्वीकृति), जिसने 1 जुलाई 2026 से मनरेगा का स्थान लिया। मुख्य परिवर्तन: रोज़गार-गारंटी 100 से बढ़कर 125 दिन; योजना अब केंद्र-प्रायोजित, जिसमें अधिकांश राज्यों के लिए केंद्र–राज्य निधि-अनुपात 60:40 (पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों में 90:10); माँग-आधारित वित्तपोषण के स्थान पर 'मानक (normative) आवंटन'; बुवाई/कटाई के मौसम में राज्य द्वारा अधिसूचित अधिकतम 60 दिन का विराम; तथा 'विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं' से कार्यों का उद्भव। चूँकि पहले मज़दूरी का अधिकांश भार केंद्र वहन करता था, अब राजस्थान जैसे राज्यों पर अतिरिक्त राजकोषीय दायित्व आएगा।

विश्लेषण: (क) ग्राम पंचायत-स्तरीय योजना-निर्माण की अनिवार्यता पंचायतों की योजनागत भूमिका को औपचारिक रूप से मज़बूत करती है; (ख) परंतु बढ़ा हुआ राज्य-अंश राज्य वित्त पर दबाव डालकर राज्य वित्त आयोग-आधारित हस्तांतरण या अन्य ग्रामीण योजनाओं की उपलब्धता को प्रभावित कर सकता है; (ग) मानक आवंटन से पंचायत-स्तर पर अनिश्चितता बढ़ने या घटने का प्रश्न नीति-विश्लेषण का विषय है। यह व्यवस्था अभी आरंभिक चरण में है, अतः इसके वास्तविक प्रभाव का अनुभवजन्य आकलन शेष है।

9. आलोचनात्मक विश्लेषण: प्रमुख संरचनात्मक समस्याएँ

9.1 स्वयं के स्रोत-राजस्व की दुर्बलता

पंचायतों के पास संपत्ति-कर, शुल्क, बाज़ार-मेला शुल्क जैसे स्रोत सैद्धांतिक रूप से हैं, पर कर-आधार सीमित, वसूली-तंत्र कमज़ोर और राजनीतिक अनिच्छा अधिक है। सोलहवें आयोग ने भी स्थानीय निकायों को स्वयं-स्रोत राजस्व बढ़ाने हेतु प्रेरित करने पर बल दिया है और अनुदान को उसी से जोड़ा है। जब तक पंचायतें अपने मतदाताओं से कर नहीं जुटातीं, तब तक स्थानीय जवाबदेही की 'कर-प्रतिनिधित्व कड़ी' अधूरी रहती है।

9.2 निधियों की बँधी प्रकृति और समानांतर संरचनाएँ

टाइड अनुदान और योजना-दिशानिर्देश स्थानीय प्राथमिकता तय करने की गुंजाइश घटाते हैं। परिणामस्वरूप निर्वाचित पंचायतें अक्सर ऊपर से तय योजनाओं की क्रियान्वयन-एजेंसी भर रह जाती हैं और विभागीय तंत्र समानांतर रूप से कार्य करता है।

9.3 कार्य–कोष–कार्मिक (3F) का असंतुलन

राजस्थान सहित अनेक राज्यों में ग्यारहवीं अनुसूची के विषयों का हस्तांतरण प्रायः विषय-स्तर पर या कागज़ पर हुआ है, जबकि गतिविधि-मानचित्रण (activity mapping) द्वारा त्रि-स्तरीय स्पष्ट कार्य-विभाजन और तदनुरूप बजट व कार्मिक-नियंत्रण अधूरा है। अध्ययनों में राजस्थान को उन थोड़े राज्यों में गिना गया है जिन्होंने कुछ विभागों के कार्य व कार्यकर्ता पंचायतों को सौंपे, किंतु इस हस्तांतरण की वास्तविक क्रियाशीलता (निधि पर अंकुश, कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक नियंत्रण) का मूल्यांकन अलग से आवश्यक है।

9.4 पूर्वानुमेयता और रिलीज़ में विलंब

किश्तों के विलंब से पंचायतें वित्त-वर्ष के अंतिम महीनों में भागमभाग में व्यय करती हैं, जिससे गुणवत्ता व योजना-संगति पर असर पड़ता है। वित्त आयोग-अनुदानों की रिलीज़ अब केंद्र द्वारा नियमित हो रही है, पर राज्य-हस्तांतरण की समय-सारणी की सार्वजनिक निगरानी सीमित है।

9.5 पारदर्शिता, लेखा और डिजिटल अवसंरचना

ई-ग्राम स्वराज (अप्रैल 2020 में शुभारंभ) और पी.एफ़.एम.एस. के एकीकरण ने निधि-प्रवाह की ट्रैकिंग संभव की है; 'सबकी योजना, सबका विकास' (जन-योजना अभियान, 2018 से) के अंतर्गत ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) को वित्तीय आवंटन से जोड़ने का प्रयास हुआ है। फिर भी, अंकेक्षित खातों का समय पर प्रकाशन, तकनीकी क्षमता की कमी और आँकड़ों की गुणवत्ता — विशेषकर 16वें आयोग की प्रवेश-शर्त के संदर्भ में — चुनौती हैं।

9.6 चुनावी विलंब और वित्तीय जवाबदेही

निर्वाचित निकाय की अनुपस्थिति में प्रशासक व्यवस्था चलती है, जिससे ग्राम सभा-आधारित योजना-अनुमोदन और बजट-जवाबदेही का स्थानीय राजनीतिक आधार कमज़ोर होता है। यह केवल राजनीतिक नहीं, वित्तीय विकेंद्रीकरण का भी प्रश्न है।

10. नीतिगत सुझाव

1. **राज्य वित्त आयोग की समय-सारणी का संस्थानीकरण:** आयोग का गठन पूर्ववर्ती अवधि समाप्त होने से पूर्व करना और सिफ़ारिशों पर कार्रवाई-प्रतिवेदन निश्चित समय-सीमा में विधानसभा में रखना।
2. **हस्तांतरण का सूत्र-आधारित, पारदर्शी वितरण:** ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और ज़िला परिषद के बीच बँटवारे के सूत्र (जनसंख्या, क्षेत्रफल, पिछड़ापन, निष्पादन) की सार्वजनिक घोषणा; किश्तों की निर्धारित तिथियाँ और ऑनलाइन ट्रैकिंग।

3. **स्वयं के स्रोत-राजस्व का सुदृढ़ीकरण:** संपत्ति-अभिलेख (स्वामित्व योजना के अंतर्गत सर्वेक्षित गाँवों सहित) का उपयोग कर कर-आधार का विस्तार, मॉडल उपविधियाँ, वसूली हेतु प्रोत्साहन और स्थानीय कर्मियों का प्रशिक्षण।
4. **अनटाइड निधि का अनुपात बढ़ाना:** राज्य अपनी योजनाओं में पंचायत-स्तरीय विवेकाधीन निधि का स्पष्ट हिस्सा तय करे, ताकि ग्राम सभा की प्राथमिकताएँ वास्तव में वित्तपोषित हो सकें।
5. **गतिविधि-मानचित्रण पूर्ण कर 3F का एकीकरण:** हर विषय को गतिविधियों में विभाजित कर तीनों स्तरों में बाँटना और संबंधित बजट व कार्मिक एक ही नियंत्रण में लाना।
6. **प्रवेश-शर्तों का अनुपालन-रोडमैप:** समय पर चुनाव, खातों का (T+1/T+2) प्रकाशन और राज्य वित्त आयोग का समयबद्ध गठन — ताकि वित्त आयोग के निष्पादन अनुदान (राजस्थान हेतु ₹6,294 करोड़ के दोनों निष्पादन घटक मिलाकर) भी सुरक्षित रहें।
7. **वी.बी.-जी राम जी के राजकोषीय प्रभाव का पूर्व-आकलन:** राज्य बजट में बढ़े हिस्से का प्रावधान और यह सुनिश्चित करना कि इससे पंचायतों के अन्य हस्तांतरण प्रभावित न हों।
8. **डिजिटल पारदर्शिता:** ई-ग्राम स्वराज पर प्राप्तियों-व्ययों का पंचायत-वार प्रकटीकरण, सोशल ऑडिट और नागरिक-सुलभ बजट-सार।

निष्कर्ष

राजस्थान की पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय विकेंद्रीकरण का समग्र चित्र 'संस्थागत प्रगति के साथ संरचनात्मक सीमाएँ' का है। एक ओर संवैधानिक ढाँचा, नियमित राज्य वित्त आयोग, पंद्रहवें व सोलहवें वित्त आयोगों के बढ़ते अनुदान और ई-ग्राम स्वराज जैसी डिजिटल प्रणालियाँ हैं; दूसरी ओर पंचायतों का स्वयं का राजस्व नगण्य है, निधियाँ बँधी हैं, 3F का हस्तांतरण अपूर्ण है और चुनावी विलंब जवाबदेही-तंत्र को कमज़ोर करता है। सोलहवें आयोग की प्रवेश-शर्तों तथा वी.बी.-जी राम जी की नई वित्त-साझेदारी के कारण आने वाले वर्ष निर्णायक होंगे। **वास्तविक वित्तीय विकेंद्रीकरण अनुदान बढ़ाने से नहीं, बल्कि पूर्वानुमेय, मुक्त और जवाबदेह संसाधनों पर पंचायतों का अधिकार स्थापित करने से आएगा।**

तथ्य-सत्यापन टिप्पणी

इस आलेख के आँकड़े अक्टूबर 2026 तक उपलब्ध सार्वजनिक स्रोतों (सोलहवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन एवं पी.आर.एस. सार, पी.आई.बी./पंचायती राज मंत्रालय, राजस्थान सरकार का कार्रवाई-प्रतिवेदन आदि) से लिए गए हैं। राष्ट्रीय स्तर के आँकड़े (पंचायत-राजस्व 2022-23) राजस्थान-विशिष्ट नहीं हैं। 6.75% हस्तांतरण-दर तथा राज्य की ₹37,959 करोड़ की माँग राज्य-सरकारी दस्तावेज़ों पर आधारित हैं; शोध-पत्रिका में प्रकाशन से पूर्व इन्हें मूल दस्तावेज़ों और पृष्ठ-संख्या सहित पुनः जाँचना उचित होगा। वी.बी.-जी राम जी तथा चुनाव-संबंधी घटनाक्रम तेज़ी से बदल रहे हैं।

संदर्भ (REFERENCES)

1. भारत का संविधान, भाग IX: अनुच्छेद 243-G, 243-H, 243-I, 243-J; अनुच्छेद 280(3)(bb); ग्यारहवीं अनुसूची।
2. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 एवं राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996।
3. Sixteenth Finance Commission (2026). Report for 2026–31, Volume I (Chapter 10: Local Body Grants). Government of India. (संसद में 1 फ़रवरी 2026 को प्रस्तुत)।
4. PRS Legislative Research (2026). Report of the 16th Finance Commission for 2026–31 (सारांश एवं राज्यवार तालिका 5)।
5. Ministry of Panchayati Raj, PIB Press Release (2026): सोलहवें वित्त आयोग के अंतर्गत RLB अनुदान — ₹4,35,236 करोड़; पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदान ₹60,750 करोड़ (2020-21) व ₹2,36,805 करोड़ (2021-26)।
6. Ministry of Panchayati Raj: Release order of Finance Commission Grants to RLBs — Untied Grant, Rajasthan, FY 2025-26, 2nd instalment (30/03/2026), panchayat.gov.in।
7. Government of Rajasthan, Local Self Government/Finance Department: Sixth State Finance Commission (2020–25) – Actionable Points / Action Taken Report (फ़रवरी 2024 में विधानसभा में प्रस्तुत); राज्य का XVI FC हेतु ज्ञापन।
8. Sixteenth Finance Commission, Study: Evaluation of Finances of State of Rajasthan (fincomindia.nic.in)।
9. Reserve Bank of India (2024). Finances of Panchayati Raj Institutions (अध्ययन; राष्ट्रीय आँकड़े 2022-23), जैसा कि प्रकाशित सार-रिपोर्टों में उद्धृत।
10. Viksit Bharat–Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) Act, 2025 (VB–G RAM G Act); PRS Legislative Research Bill Track (संसद द्वारा पारित: 18 दिसंबर 2025)।
11. Second Administrative Reforms Commission (2007). Sixth Report: Local Governance — An Inspiring Journey into the Future. Government of India.
12. Musgrave, R. A. (1959). The Theory of Public Finance. McGraw-Hill.
13. Oates, W. E. (1972). Fiscal Federalism. Harcourt Brace Jovanovich.
14. Rao, M. G. & Singh, N. (2005). The Political Economy of Federalism in India. Oxford University Press.
15. राजस्थान उच्च न्यायालय के पंचायत/नगरीय निकाय चुनाव संबंधी आदेश (2025–26), समाचार-रिपोर्टों (The Statesman, IANS) के आधार पर; आधिकारिक आदेश से मिलान आवश्यक।